




308



Rs 17-9-1 मुज्जे
बी.बी.बी.डी.
समक्ष 9/1/14
10.9.14

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर,

प्रकरण कमांक

/2014 पुनरीक्षण R-3216-III/14

लटोरा, उम्मेदा, रामप्रसाद पुत्रगण
सकई डीमर, निवासी- ग्राम
खुरमपुर, तहसील लिधोरा, जिला
टीकमगढ़

.....आवेदकगण

SLA

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार तनय मातादीन
 2. महिला भगन्तो पत्नी राजेन्द्र अहिरवार
निवासीगण- ग्राम खुरमपुर, तहसील
लिधोरा, जिला टीकमगढ़
- श. म. उ. साहू
.....अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व
संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांकी
15/6/2014 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील
लिधोरा जिला टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक
71/अ/12/2013-14

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण निम्नप्रकार प्रस्तुत है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष
ग्राम खुरमपुर की भूमि के सम्बन्ध में म०प्र० कृषि
प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित
भूमि सर्वे कमांक 3,7,1 रकवा 1.214 हैक्टर भूमि

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर


अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

2

प्रकरण क्रमांक- निग.- 3216-तीन/2014

जिला-टीकमगढ़

रामपाल सिंह विरुद्ध राजकुंवर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-01-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित ।</p> <p>3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार, तहसील धुवारा, जिला-टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 71/अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 15-06-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये हैं ।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 27-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये</p>	<p align="right">  (आर.के. जैन) 09/01/19 सदस्य </p>